UPBP010023402022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–6, बलरामपुर।

उपस्थितः प्रदीप कुमार–तृतीय (एच०जे०एस०)

राजकीय अपील संख्या –46/2022

रजिस्टर संख्या–39/2022

(सी०एन०आर०संख्या–UPBP010023402022)

उ०प्र०राज्य ..... अपीलार्थी।

बनाम

मनीराम यादव पुत्र रामरतन निवासी ग्राम मोतीपुर हड़हवा, थाना पचपेड़वा, जनपद बलरामपुर।

..... विपक्षी।

निर्णय

01. राजकीय अपील संख्या–39/2022 उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से अन्तर्गत धारा 378 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रथम अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलरामपुर **(अवर न्यायालय)** द्वारा वाद संख्या–929/21/10 एन०सी०आर०नं०–191/2009 अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता थाना पचपेड़वा, जनपद बलरामपुर के मामले में पारित निर्णय दिनांकित 02.07.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। राजकीय अपील माननीय सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर के न्यायालय में प्रस्तुत होकर अंगीकृत एवं पंजीकृत की गयी। अन्तरण द्वारा इस न्यायालय को विधिनुसार निस्तारण हेतु प्राप्त हुयी।

02. संक्षेप में अपील के आधार इस प्रकार हैं कि अपील मियाद अवधि में है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 02.07.2022 विधि एवं विधि के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है, जिससे न्याय की हानि एवं उद्देश्य विफल हुआ है। अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का विधिसम्मत परीक्षण निर्णय पारित करते समय नहीं किया गया है। अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.07.2022 न्यायसंगत एवं विधि व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। अवर न्यायालय द्वारा वादी मुकदमा बब्लू यादव द्वारा न्यायालय में दिये गये बयान में बताया है कि नाली का पानी उसके दरवाजे पर जाता था, जिससे कचरा भर जाता था। अभियुक्त मनीराम के घर दरावाजे पर पानी आने का उलाहना दिया तो नाराज होकर मां–बहन की भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए लाठी से मारने लगे और कहे कि उसे जान से मार डालो, के बयान में आये उन साक्ष्यों का विधिसम्मत मूल्यांकन नहीं किया गया है जिससे अभियोजन कथानक का समर्थन हुआ है। वादी मुकदमा बब्लू यादव जो इस अभियोग का चोटहिल साक्षी भी है, जिसका चिकित्सीय परीक्षण पी०डब्लू०–4 डा०एस०डी० सिंह द्वारा किया गया जो अभियुक्तगण के मारने से जो चोटें आईं थीं उसे डाक्टर द्वारा प्रदर्श क –3 के रूप में साबित किया है के साक्ष्यों का

विधिसम्मत मूल्यांकन नहीं किया है, जिससे अभियोजन कथानक का समर्थन हुआ है। भारतीय दंड संहिता की धारा 319, 504, 506 जो उपहति, लोकशांति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से शासय, अपमान व आपराधिक अभित्रास को परिभाषित करती है और विचारण के समय साक्षियों द्वारा दिये गये बयान से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा "अभियुक्त मनीराम के घर दरवाजे पर पानी आने का उलाहना दिया तो अभियुक्त नाराज होकर मां–बहन की भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए लाठी से मारने लगा और कहा कि उसे जान से मार डालो। इस प्रकार अभियुक्त मनीराम के विरूद्ध धारा 319 व धारा 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता का अपराध बनना प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 की धारा 134 यह प्रावधानित करती है कि किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी। अर्थात साक्ष्य को तौला जाए गिना न जाए। वादी मुकदमा बब्लू यादव द्वारा न्यायालय में दिये गये बयान से अभियुक्त मनीराम के विरूद्ध धारा 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता का अपराध बनान युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है, परन्तु अवर न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई ध्यान आकर्षित नहीं किया है और तथ्य तथा विधि की भूल किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने विपिन कुमार मण्डल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2010 सी०आर०एल०जे० 3880 (एस०सी०) के वाद में यह धारित किया गया है कि एकल साक्षी के साक्ष्य के आधार पर भी अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है। अवर न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का विधिसम्मत मूल्यांकन किये बिना ही अभियुक्त को दोषमुक्त कने का आदेश पारित किया है, जो ग्राह्य नहीं है। धारा 504 भारतीय दंय संहिता के अपराध को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है क्योंकि अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा/मजरूब को जान से मार डालने की धमकी देते हुए आपराधिक अभित्रास किये जाने का अपराध किया जाना प्रमाणित है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विधिसम्मत मूल्यांकन नहीं किया है। मजरूब/वादी मुकदमा की आघात आख्या प्रदर्श क–3 से यह प्रमाणित है कि वादी मुकदमा को घटना में चोटें अभियुक्त मनीराम द्वारा पहुंचायी गयी थीं तथा मेडिकल साक्ष्य से मौखिक साक्ष्य और अभियोजन कथानक का समर्थन होता है परन्तु अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विधिसम्मत मूल्यांकन नहीं किया गया है। उक्त कथनों के आधार पर अपीलार्थी ने अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय दिनांकित 02.07.2022 को निरस्त करने की याचना की है।

03. विपक्षी/अभियुक्त मनीराम यादव की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है। मौखिक रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय के आदेश में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किये जाने के उपरांत किया गया है। अवर न्यायालय ने अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षियों के साक्ष्य का पूर्णरूपेण व सही रूप से मूल्यांकन करने के उपरांत ही आदेश पारित किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

04. संक्षेप में दाण्डिक वाद संख्या–929/21/10 एन०सी०आर०नं०–191/2009 राज्य बनाम मनीराम यादव धारा 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता थाना पचपेड़वा जिला बलरामपुर के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा बब्लू यादव ने थाना तुलसीपुर में इस आशय की मौखिक सूचना दी कि विपक्षीगण अपने घर से पानी गिराते हैं तो पानी सीधा उसके दरवाजे राइस प्लांट पर आता है जिससे कचड़ा हो जाता है, जिस पर वह पानी गिराने से मना कर रहा था तो विपक्षीगण उपरोक्त भद्दी–2 गालियां देने लगे और कहने लगे का जान से मार डालो, हल्ला गोहार पर तमाम लोग बचाने आ गये। जिस पर थाने पर एन०सी०आर०नं०–191/2009 दर्ज की गयी। जिसके उपरांत वादी द्वारा दिनांक 25.11.2009 को वास्ते कराये जाने विवेचना एन०सी०आर०नं०–191/2009 हेतु दिया गया जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया जिस पर विवेचनोपरांत अभियुक्त मनीराम के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता के अतंर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त आरोप पत्र पर दिनांक 06.03.2010 को न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया। जिसके उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 08.08.2011 को आरोप विरचित किया गया। अभियोजन की ओर से आरोप को साबित कराने हेतु कुल चार साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष अंकित कराया गया। जिसके उपरांत अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अंकित किया गया। बहस सुनने के उपरांत विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 02.07.2022 को निर्णय पारित किया गया।

05. उक्त मामले में विद्वान विचारण न्यायालय में मौखिक साक्ष्य के रूप में पी०डब्लू०–1 बब्लू यादव (वादी मुकदमा), पी०डब्लू०–2 बृजेश (चक्षुदर्शी साक्षी), पी०डब्लू०–3 बब्बू (चक्षुदर्शी साक्षी) व साक्षी पी०डब्लू०–4 एस०डी०सिंह (चिकित्सक) परीक्षित हुए हैं।

06. राज्य की ओर से उपस्थित सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन द्वारा अपने कथानक को पूर्णतः साबित किया है, वादी मुकदमा मजरूब द्वारा अभियोजन कथानक का पूर्णतः समर्थन किया है जिसकी पुष्टि विशेषज्ञ साक्षी पी०डब्लू० –4 के मौखिक साक्ष्य व प्रदर्श क–3 से होती है।

07. उक्त का खण्डन करते हुए विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादी मुकदमा ने अभियुक्त द्वारा उसको लाठी से मारने की बात कही है लेकिन उसने यह स्पष्ट नहीं किया है कि मनीराम यादव के द्वारा ही उसे मारा गया है और यह भी कथन किया है कि दोनों लोग उसे लाठी से मारने लगे जबकि साक्षी पी०डब्लू०–4 चिकित्सक द्वारा अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उसके शरीर पर एक चोट पायी गयी थी जबकि वादी मुकदमा ने अपने बयान में कहा है कि उसे लाठी से मारा गया है। डाक्टर द्वारा यह भी कहा गया है कि यह चोट किस हथियार से पहुंचाई गई, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, बल्कि शख्त हथियार से आई हुई प्रतीत होती है, जोकि शख्त ईंटे से आ

सकती है। यह चोट ठोकर लगने पर, सड़क पर लगे ईंटे पर गिरने से आ सकती है। इस प्रकार वादी द्वारा किये गये कथन को डाक्टर के बयान से मेल नहीं खाता है।

08. इसी प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये अन्य साक्षियों जोकि मामले के चक्षुदर्शी साक्षी थे उनके द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है जिस कारण से अभियोजन के निवेदन पर उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया था। चूंकि आरोपों को साबित किये जाने का भार अभियोजन के ऊपर होता है। मामले में जो भी साक्षी परीक्षित कराये जाते हैं वे सभी अभियोजन के साक्षी होते हैं ऐसे साक्षियों को इस आशय से अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है कि उनको तथ्यों की पूर्ण जानकारी है ऐसे में यदि उनके द्वारा अभियोजन कथानक के समर्थन से इंकार किया जाता है तो यह अभियोजन के केस को कमजोर करता है। इस मामले में तथ्य के दो स्वतन्त्र चक्षुदर्शी साक्षी परीक्षित कराये गये हैं जिनके द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है।

09. उक्त मामले के विवेचक द्वारा नक्शा नजरी प्रदर्श क–4 प्रस्तुत किया गया है जिसमें न तो वादी मुकदमा बब्लू का घर दर्शाया गया है और न ही कोई राइस मिल दर्शायी गयी है इस प्रकार जिसके सम्बन्ध में यह घटना हुई है उस नाली व वादी के दरवाजे व राइस मिल को दर्शित ही नहीं किया गया है। जो कि इस मामले का एक महत्वपूर्ण तथ्य है। यहां यह बात भी उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा बब्लू यादव द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि "घटना के दिन उसने अभियुक्त मनीराम व उसके पिता रामरतन से घर के दरवाजे पर पानी आने का उलाहना दिया, तो वे लोग नाराज हो गये और उसे मां–बहन की भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए लाठी से मारने लगे और कहे कि उसे जान से मार डालो। यह दोनों लोग लाठी व लात घूंसा से मारने लगे थे। इस घटना को उसके गांव के बब्बू व बृजेश ने देखा व उन्होंने बीच बचाव कराया। वादी मुकदमा द्वारा किये गये उक्त कथन में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि उसे मारने वाले दो व्यक्ति थे मनीराम व उसके पिता परन्तु मामले में केवल मनीराम को ही अभियुक्त बनाया गया है, जिससे यह कहीं भी यह दर्शित नहीं है कि वादी को लाठी व लात घूंसो से मनीराम के द्वारा ही मारा गया।

10. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा ने अपने बयान में कहा है कि उसे लाठी, लात घूसों से दो लोगों के द्वारा मारा गया है जबकि पी०डब्लू० –4 डाक्टर एस०डी०सिंह द्वारा चोटहिल वादी मुकदमा बब्लू का मेडिको लीगल तैयार किया गया था जिसमें साक्षी के द्वारा वादी मुकदमा के शरीर पर एक ही चोट का दर्शित की गयी है साथ ही उक्त साक्षी के द्वारा यह भी कथन किया गया है चोट गिरने से भी आ सकती है। डाक्टर द्वारा यह भी अभिमत प्रकट किया गया है कि चोट ठोकर लगने पर, सड़क पर लगे ईंटे पर गिरने से आ सकती है। इस प्रकार वादी मुकदमा को आई चोट की प्रकृति एवं वादी मुकदमा द्वारा किये गये कथन में घोर विरोधाभाष है।

11. अपीलार्थी द्वारा अपने अपील के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था विपिन कुमार मण्डल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2010 सी०आर०एल०जे० 3880 (एस०सी०) प्रस्तुत की है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि एकल साक्षी के साक्ष्य के आधार पर भी अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है। परन्तु यहां यह देखा जाना आवश्यक है कि वादी मुकदमा के द्वारा किये गये कथन एवं अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये अन्य साक्षीगण (जोकि मामले के चक्षुदर्शी साक्षी हैं) के कथन एवं चिकित्सीय आख्या सुमेलित हो परन्तु वादी द्वारा किये गये कथानक को न तो अन्य साक्षीगण के कथानक से बल मिल रहा है न ही पी०डब्लू०–4 चिकित्सक के बयान से सुमेलित है। क्योंकि अभियुक्त पर लगे आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पर है परन्तु अभियोजन मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः विफल रहा है।

12. इस सन्दर्भ में निम्नलिखित विधि व्यवस्थाओं का उल्लेख किया जाना समीचीन होगाः–

विधि व्यवस्था **मध्य प्रदेश राज्य बनाम शीतला प्रसाद (2009) 8 एस०सी०सी० 617 में** माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन को युक्ति–युक्त संदेह से परे आरोप साबित करना चाहिए। यदि अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन पक्ष द्वारा ठोस साक्ष्य प्रस्तुत न कर संदेह से परे आरोप साबित नहीं किया गया है तो अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने का दायित्व अभियोजन पर है, जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा कथित घटना कारित किया जाना सिद्ध नहीं होता है।

State of UP vs Anil Singh AIR 1988 SC 1998 Law laid down that "A Judge preside to see that a guilty man does not escape but a judge also preside over a criminal trial that no innocent person shall be punished. Both are public duties.

13. अतः उपरोक्त मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था के आलोक में की गयी संविक्षा से यह स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायलय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रश्नगत निर्णय पारित किया है। इस निर्णय में कोई विधिक त्रुटि कारित होना दर्शित नहीं है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा कोई तात्विक भूल/अनियमितता विधिक भूल, आदेश में परिलक्षित नहीं है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 02.07.2022 विधि सम्मत है व उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। आक्षेपित निर्णय व आदेश दिनांकित 02.07.2022 पुष्ट होने योग्य है। तद्नुसार अपीलार्थी की अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

14. राज्य की ओर से प्रस्तुत राजकीय अपील संख्या–39/2022, उ०प्र०राज्य बनाम मनीराम यादव निरस्त की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 02.07.2022 पुष्ट किया जाता है।

दिनांक–09.05.2025

(प्रदीप कुमार–तृतीय)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–6, बलरामपुर।
जे0 ओ 0 कोड–यू0 पी0 1591

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–09.05.2025

(प्रदीप कुमार–तृतीय)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–6, बलरामपुर।
जे0 ओ 0 कोड–यू0 पी0 1591